



राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाइट : rscdrf.food.rajabasthan.gov.in, मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:-एफ 4 (1)रा.आ./स्था./स्थानान्तरण/2018/पार्ट-11/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारियों का राज्य हित/प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	पद	वर्तमान में पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	श्री अमन बेनीवाल (स्वयं की प्रार्थना पर)	निजी सहायक-11	जिला आयोग, बाडमेर	जिला आयोग, टोंक	श्री मदन लाल शर्मा के स्थान पर
2.	श्री मदन लाल शर्मा	निजी सहायक-11	जिला आयोग, टोंक	जिला आयोग, सवाईमाधोपुर	निजी सहायक-1 के पद के विरुद्ध
3.	श्रीमती लोचन श्री भाटी	निजी सहायक-11	जिला आयोग, जोधपुर प्रथम	जिला आयोग, अजमेर	निजी सहायक-1 के पद के विरुद्ध
4.	श्री भानू प्रताप सिंह राजावत	निजी सहायक-11	जिला आयोग, सिरौही	जिला आयोग, बाडमेर	श्री अमन बेनीवाल के स्थान पर

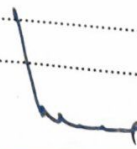
नोट:-1 सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित कर्मचारी को अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर उपस्थित होने/कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर रिपोर्ट प्रेषित करें।

2. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष सम्बन्धित कर्मचारी के कार्यग्रहण की सूचना राज्य आयोग को अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. क्रम संख्या 01 पर अंकित कर्मचारी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं होगा।
4. क्रम संख्या 03 पर अंकित कर्मचारी के पूर्व से अन्य जिला आयोग, जोधपुर द्वितीय एवं बैच, जोधपुर में कार्य व्यवस्था की दृष्टि से कार्य करने हेतु जारी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


(राजेश गुप्ता)
रजिस्ट्रार

क्रमांक:-एफ 4 (1)रा.आ./स्था.स्थानान्तरण/2018/पार्ट-11/1231-1241/दिनांक: 10.07.2026

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
 2. निजी सहायक, रजिस्ट्रार महोदय, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
 3. उप पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
 4. प्रभारी अधिकारी, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बैच जोधपुर।
 5. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाडमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, जोधपुर प्रथम, अजमेर एवं सिरौही।
 6. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
 7. सम्बन्धित कर्मचारी श्री/श्रीमती/सुश्री
 8. रक्षित पत्रावली।


(राजेश गुप्ता) 10/07/2026
रजिस्ट्रार